भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2421

15.12.2025 को उत्तर के लिए

प्रदूषित झीलों का आकलन और पुनरूद्धार

2421. **श्री कुंदुरु रघुवीर:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में सीवेज बहिःस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, अतिक्रमण और रासायनिक संदूषण के कारण झीलों, जलाशयों और शहरी टैंकों में बढ़ते प्रदूषण के संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी आकलन किया है और यदि हां, तो तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान चिन्हित प्रदूषित झीलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा स्वीकार्य सीमा से बढ़े हुए मापदण्डों सहित जल गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उद्योगों, नगर पालिकाओं या निर्माण एजेंसियों द्वारा झीलों को प्रदूषित करने या उन पर अतिक्रमण करने के संबंध में उल्लंघन के कोई मामले दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा राज्यों के साथ समन्वय में, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), आर्द्रभूमि संरक्षण योजना जैसे कार्यक्रमों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अंतर्गत प्रदूषित झीलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का संवेदनशील झीलों हेतु सख्त निगरानी प्रणाली और वास्तविक समय निगरानी करने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.): वर्तमान में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से 4922 स्थलों पर करता है, जिनमें तेलंगाना राज्य भी सम्मिलित है। यह निगरानी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के अंतर्गत की जाती है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों-वार झीलों, तालाबों एवं टैंकों के जल गुणवत्ता विवरण की स्थिति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/nwmp-data/ पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत, वर्ष 2023 के लिए बाहरी स्नान हेतु अधिसूचित 158 झीलें, तालाब एवं टैंक प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड (पीडब्ल्यूक्यूसी)—का अनुपालन करते हैं, जिनमें से 5 झीलें/तालाब/टैंक तेलंगाना में स्थित हैं।

सीपीसीबी समय-समय पर झीलों, तालाबों, टैंकों जैसे ठहरे हुए जल निकायों की जल गुणवत्ता के आंकड़ों की समीक्षा करता है तथा मूल्यांकन के परिणाम एसपीसीबी/पीसीसी के साथ साझा करता है, जिससे स्रोत की पहचान की जा सके एवं जल गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण हेतु झीलों सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं और देश में वेटलैंड्स के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की वेटलैंड प्राधिकरणों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वेटलैंड्स की पहचान, अधिसूचना एवं प्रबंधन के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

देश में वेटलैंड्स के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के मध्य लागत साझेदारी आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना– राष्ट्रीय जल पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपशिष्ट जल अवरोधन, विचलन एवं उपचार, तटीय सुरक्षा, स्वस्थाने स्वच्छता (जैसे–गाद हटाना, निराई-गुड़ाई), जैव विविधता संरक्षण, वर्षा-जल प्रबंधन, बायोरिमेडिएशन, वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक पुनर्जनन सहित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट , सर्वेक्षण एवं सीमांकन, बायो-फेंसिंग, मत्स्य पालन सहित संधारणीय आजीविका विकास, इको-पर्यटन विकास, शिक्षा एवं जन-जागरूकता, समुदाय सहभागिता आदि कार्यकलापों का समावेश है। इसके अतिरिक्त भारत ने आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत वर्ष 2014 से अब तक 67 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 94 हो गई है। इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत तालाबों एवं कुओं का जीर्णोद्धार प्रमुख घटक के रूप में लागू कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अभियान दिशानिर्देशों की विस्तृत अवसंरचना के अनुरूप परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण एवं कार्यान्वयन हेतु सक्षम बनाया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक कुल ₹6,270.51 करोड़ लागत की 3,031 जल निकाय जीर्णोद्धार परियोजनाएँ अनुमोदित की जा चुकी हैं।

इसके अलावा सरकार द्वारा देश में पर्यावरणीय विनियमों के प्रवर्तन एवं जल प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि जलीय संसाधनों के प्रदूषण को रोका जा सके एवं नियंत्रित किया जा सके।

- औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत तंत्र द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) द्वारा लागू किया जाता है।
- भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत सामान्य निर्वहन मानकों तथा उद्योग-विशिष्ट प्रभावी अपशिष्ट निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य जल निकायों में प्रदूषण की रोकथाम करना है।

- ऑनलाइन सतत् प्रवाही अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) देश में 17 श्रेणियों के उद्योगों तथा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) द्वारा स्थापित की जा रही है। यह पहल अपशिष्ट गुणवत्ता पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करती है, जिससे नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों की पहचान तथा सुधारात्मक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन में सहायता प्राप्त होती है।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सीवेज उपचार हेतु अवसंरचना विकसित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निदेश जारी करें।

***

अनुलग्नक-I

एनडब्ल्यूएमपी नेटवर्क

राज्य	नदी	झील	तालाब	टैंक	भूजल	वेटलैंड	नहर	नाली	जलाशय	खाड़ी/ तटीय/ समुद्री/ सागर	सीवेज उपचार संयंत्र	पानी उपचार संयंत्र (कच्चा पानी)	कुल योग
आंध्र प्रदेश	45	16	-	3	61	21	5	4	5	27	1	-	188
अरुणाचल प्रदेश	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
असम	112	34	24	-	67	2	-	-	-	-	-	-	239
बिहार	96	3	2	-	70	-	-	-	-	-	-	-	171
चंडीगढ़	-	1	-	-	7	-	-	3	-	-	-	-	11
छत्तीसगढ	29	-	1	-	8	-	-	-	1	-	-	-	39
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	13	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	25
दिल्ली	12	3	-	-	45	-	2	26	-	-	-	6	94
गोवा	32	44	-	-	9	-	3	-	2	24	1	-	115
गुजरात	65	17	2	-	88	3	3	-	4	3	2	-	187
हरियाणा	23	4	1	-	29	1	14	1	-	-	-	3	76
हिमाचल प्रदेश	156	5	1	-	55	-	-	32	1	-	-	-	250
जम्मू और कश्मीर	63	36	-	-	23	10	-	2	-	-	-	-	134
झारखंड	65	4	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	76
कर्नाटक	126	151	1	67	2	-	-	-	6	-	-	-	358
केरल	138	29	7	-	35	-	3	1	-	-	1	-	219
लक्षद्वीप	-	-	3	-	42	-	-	-	-	-	-	-	45
मध्य प्रदेश	211	20	11	1	54	-	-	-	8	-	-	-	305

महाराष्ट्र	181	1	-	-	50	-	-	10	1	35	-	-	278
मणिपुर	44	5	14	-	10	-	2	-	-	-	-	-	75
मेघालय	64	7	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	84
मिजोरम	67	6	13	-	26	-	-	-	9	-	-	-	121
नागालैंड	32	6	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	48
ओडिशा	156	7	10	-	100	4	11	3	6	90	3	-	390
पुदुचेरी	6	3	-	-	22	-	-	-	-	3	-	-	34
पंजाब	66	17	6	-	46	-	2	10	-	-	8	-	155
राजस्थान	30	27	2	-	131	-	5	-	7	-	-	-	202
सिक्किम	28	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	30
तमिलनाडु	71	8	-	1	22	13	2	4	-	34	16	-	171
तेलंगाना	49	100	29	30	48	-	-	2	7	-	8	-	273
त्रिपुरा	38	8	10	-	57	-	7	-	-	-	-	-	120
उत्तर प्रदेश	121	7	2	-	39	3	1	-	1	-	-	2	176
उत्तराखंड	44	2	-	-	19	1	3	-	-	-	-	-	69
पश्चिम बंगाल	60	14	-	-	68	2	2	-	-	1	-	-	147
कुल योग	**2260**	**587**	**143**	**102**	**1271**	**60**	**65**	**98**	**58**	**227**	**40**	**11**	**4922**

*****